रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

J.E [CIVIL] & J.E [E/M]

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285] नई दिल्ली, बुधवार, मई 2, 2018/वैशाख 12, 1940

No. 285] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 2, 2018/VAISAKHA 12, 1940

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2018

सा.का.नि. 417(अ).—केन्द्र सरकार दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 56 के उपधारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ परामर्श करने के बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और कनिष्ठ अभियंता (विद्युत और यांत्रिकी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (कनिष्ठ अभियंता) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि:-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

Scanned with CamScanner

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद अथवा अचयन पद है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और कनिष्ठ अभियंता (विद्युत और यांत्रिक)	सिविल-587 विद्युत और यांत्रिक-92 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	समूह 'ग'	स्तर-6 (35,400/- 1,12,400/- रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए सामान्य उम्मीदवारों के मामले में चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में पैंतालीस वर्ष तक छूट) टिप्पणी 1 : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तिथि होगी (न कि वह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है) टिप्पणी 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा के अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम को भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
किसी मान्यता-प्राप्त संस्था अथवा समकक्ष संस्था से कनिष्ठ अभियंता के पद के लिए सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा और कनिष्ठ अभियंता (विद्युत और यांत्रिक) के पद के लिए (विद्युत अथवा यांत्रिक) में डिप्लोमा।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

[सं. फ. 11011/19/2017-डीडी-II]

एस. बी. प्रसाद, अवर सचिव

Scanned with CamScanner

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2018

G.S.R. 417(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Delhi Development Authority, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Engineer (Civil) and Junior Engineer (Electrical and Mechanical) in the Delhi Development Authority, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Junior Engineer) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**- The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, had entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Savings.**- Nothing in these Rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age Limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Junior Engineer (Civil) and Junior Engineer (Electrical and Mechanical).	Civil – 587 Electrical and Mechanical - 92 (*subject to variation depending on work load).	[illegible]	Level-6 (Rs.35,400-1,12,400/-).	Not applicable.*	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants and Delhi Development Authority upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Casts or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note I : The crucial date for	Diploma in Civil Engineering for the post of Junior Engineer (Civil) and Diploma in Electrical or Mechanical for the post of Junior Engineer (Electrical and Mechanical) from a recognised institution or equivalent.

Scanned with CamScanner

					determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2 : The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	Direct recruitment.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.

[No. K-11011/19/2017-DD-II]

S. B. PRASAD, Under Secy.

Scanned with CamScanner